

## क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— RMNCH/FP Counsellors

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष— A.8.1.7

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.8.1.7.5.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले रोगियों एवं संस्थागत प्रसव की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इस परिस्थिति में परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वांछित उपलब्धि की प्राप्ति हेतु FRU एवं मेडिकल कॉलेज पर "FP Counsellor" को नियुक्त किया गया है। इनके माध्यम से स्वास्थ्य संस्थान में संस्थागत प्रसव वाले लाभार्थियों को बच्चे के जन्म के पश्चात् तथा ईलाज हेतु अस्पताल में आने वाले लक्षित आयु वर्ग के रोगियों को परिवार नियोजन साधन के उपयोग हेतु प्रेरित करवाने का उद्देश्य है। यह परिवार कल्याण कार्यक्रम के वांछित उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे।

**इकाई राशि (रु० में)—Honorarium 15000/- per month to FP Counsellor (Posted at FRU/Medical College)**

**वित्तीय दिशा निर्देश—**

FP Counsellors की नियुक्ति 149 FRU एवं 6 मेडिकल कॉलेजों पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा किया गया है। जिलों एवं मेडिकल कॉलेज को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

**इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)**

(1) संख्या 3873 दिनांक 04.05.2012

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम — डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल  
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971

13/7/13